अपनी बात

समाज की परंपरागत सोच के तहत महिलओं द्वारा किए गए घरेलू काम का कोई मोल नहीं। यही सोच वहां भी लागू होती है जब महिलाएं वेतन लेकर घरेलू काम करती हैं। इसके हिसाब से ये काम बेमतलब के हैं। इसीलिए वे जब इस काम के पैसे देते हैं तो उनकी नज़र में ये कामगार पर एहसान है। दूसरों के घरों में झाड़ू-पोछा, बरतन, कपड़ा करके अपना जीवन गुज़ारने वाली ये महिलाएं घरेलू कामगार महिलाएं हैं। वो मेहनत से अपना घर चलाती हैं। बावजूद इसके उनकी मुश्किलें कम नहीं होती।

भोपाल शहर की बस्तियों का उदाहरण लें तो यहां रहने वाली महिलाएं परिवार समेत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, व छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों से काम की तलाश में आईं हैं। पहले ही इन्हें अपने साथ लाई संस्कृति को यहां के परिवेश में ढ़ालना पड़ता है। ऐसे में अगर इन्हें काम किसी तीसरी पृष्ठभूमि से आए परिवार के यहां मिल जाता है तो इन्हें फिर एकबार खुद को उस परिवेश में ढ़ालना पड़ता है। इस कवायद में इन्हें कई बार भावनात्मक चोट पहुंचती है। इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से न समझपाने की वज़ह से इनके व्यक्तित्व मे चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है। परिणाम स्वरुप लोग यह मान लेते हैं कि घरेलू कामगार महिलाएं झगड़ालू होती हैं।

इनकी चिड़चिड़ाहट की दूसरी वज़ह इनकी हड्डी तोड़ देने वाली दिनचर्या भी है। जिसमें न तो इन्हें शारीरिक सुकून मिलता है न ही मानसिक। इनकी सुबह लगभग **5** बजे से शुरू होती है। खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पानी भरना ये सारे काम महिलाएं **6.30** से **7.00** बजे तक खत्म कर लेती हैं। इसके बाद वो दूसरों के घरों में काम करने निकल जाती हैं। यहां से **6** घंटे काम करके **2** बजे तक वापस अपने घर लौट जाती हैं। यहां इन्हें पहले से ही कामों का ढेर तैयार मिलता है। जिसमें बच्चों को खाना खिलाना, कपड़े धोना एवं घर के छोटे-मोटे काम शामिल हैं। फिर एक बार **4** बजे के आसपास ये तैयार हैं बाहर निकलने के लिए। **6** से **8** बजे तक ये दूसरी पहर का काम निपटा एक बार फिर घर का रुख करती हैं। यहां अभी इन्हें शाम का खाना बनाना है और बाकी बचे हुए दिन के काम निपटाने हैं। इस तरह दिन में **14** से **18** घंटे ये सिर्फ और सिर्फ काम करती हैं। बुरी तरह थका देने वाला काम।

ये महिलाएं घर के सभी कामों के साथ-साथ आर्थिक जिम्मेदारी भी उठाने लगती हैं। उनकी इस घर-बाहर की दौड़ में पुरुष पिछड़ने लगता है। वो आर्थिक रूप से इन पर निर्भर होने लगता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में ये निर्भरता भी औरत के पक्ष में नहीं जाती। उलटे अपनी तमाम मेहनत के बाद उसके हिस्से में पुरुष की हिंसा ही आती है। इतना ही नहीं बाहर भी उन्हें अपने काम के बोनस के तौर पर शारीरिक व मानसिक दोनों तरह की हिंसा झेलनी पड़ती है। कभी बिना वेतन दिए भगा देना, यौन शोषण करना, हिंसा करना, भेदभाव व दुर्व्यवहार करना।

घरेलू कामगार के साथ हिंसाः

-कार्यस्थल पर घरेलू कामगारों के साथ हिंसा आम है। भेदभाव के तौर पर उनके बर्तन अलग रखना, उनको स्पर्श न करना, पूजा स्थल पर उनके प्रवेश में रोक, किचन में पीने का पानी छूने से रोकना। जिस बर्तन को वह धुलती है, धुल जाने के बाद छू नहीं सकती। जो कपड़े उसने खुद साफ किए धुल जाने के बाद अगर वो छू ले तो प्रायः दुबारा धुले जाएंगे। इस तरह का जातिगत भेदभाव ये हर दिन झेलती हैं। इनके नियोक्ता भी भूल जाते हैं कि यह भी एक

इंसान है और इनकी भी भावनाएं और सम्मान हैं। जिसे वह हर दिन रौंदते हैं। इनके साथ होने वाली मारपीट, यौनिक हिंसा, चोरी का इल्ज़ाम तो बेहद आम है। यह मानकर चला जाता है कि यह वर्ग पैदायशी चोर है और इन पर किसी भी तरह का आरोप लगाना, इनके साथ हिंसा करना नियोक्ता का हक़ है। घरेलू कामगार भी इस दुर्व्यवहार को अपनी नियति मान लेती हैं और अपने नियोक्ता के वर्चस्व को स्वीकार लेती हैं।

यूनियन के बारें में

इस यूनियन का नाम घरेलू कामगार महिला अधिकार संघ है जिसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुयी जिसमें 9 पदाधिकारी व 3000 महिलाये सदस्य है वर्तमान में यह यूनियन भोपाल की 40 से अधिक बस्तियों में सक्रिय है और कामगार महिलाओं के हितों के लिए कार्यरत है । इसके लिम्न उद्देश्य है

(1) म.प्र. के घरेलू कामकाज आपसी संबंध नियमानुकूल रहें, ऐसी व्यवस्था करना।

(2) संस्था के सदस्यों के लिये नौकरी तथा जीवनयापन की स्थिति सुधारना।

(3) उनकी कठिनाईयों का निवारण करने का प्रयत्न करना।

(4) पारिश्रमिक की कमी को रोकना और सम्भवतः अग्रिम रूप में दिलाने की समयानसुार व्यवस्था करना।

(5) सेवायोजक व सेवायुक्त के बीच उत्पन्न विवादों के काल में काम के अवरोध को टालना और सौहार्द्र से आपसी हल निकालने का प्रयत्न करना।

(6) बीमारी, बेकारी, निर्बलता, वृद्धावस्था तथा मृत्यु के समय सदस्यों के लिये सहायता प्राप्त करना।

(7) दुर्घटना के समय सदस्यों के लिये क्षतिपूर्ति (विधान के अधीन क्षतिपूर्ति) प्राप्त करना।

(8) नौकरी या उससे संबंधित प्रकरणों से सदस्यों को वैधानिक सहायता देना।

(9) तालाबन्दी या हड़ताल, जो संस्था की स्वीकृति द्वारा की गयी हो, के समय सदस्यों को सहायता दिलाने का प्रयत्न करना।

(10) उन श्रम संगठनों, से, जिनके उद्देश्य संस्था के सदृश हो के साथ सहकार्य करना तथा संस्था को उनसे संबंद्ध करना।

(11) व्यावसायिक संघ विधान में निहित नीति के अनुसार श्रमिक वर्ग की सहायता करना।

(12) साधरणतः सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक पारस्परिक तथा राजनैतिक जीवन में सुधार करने का प्रयत्न करना तथा,

(13) औद्योगिक विवादों में श्रमिक का प्रतिनिधित्व करना।

(14) घरेलू कामगारों के प्रकरण पर कार्यवाही।

(15) घरेलू कामगारों की क्षमता विकास।

(16) घरेलू कामगारों के लिये बेहतर रोजगार के विकल्प उपलब्ध कराना।

(17) घरेलू कामगारों के साथ कार्य स्थल पर होने वाली उत्पीड़न पर कार्य।

(18) घरेलू कामगारों की बेहतर स्थिति हेतु कार्य एवं वातावरण निर्माण।

(19) घरेलू कामगारों की सामाजिक सुरक्षा हेतु उपाय।

(20) घरेलू कामगारों की समस्याओं हेतु परामर्श।

नियोक्ता ये हमारी मॉगे

- ❖ घरेलू कामगार महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार सम्मानजनक रखें।
- ❖ इन महिलाओं को बाई से सम्बोधित न करके उनके नाम से बुलाएं।
- ❖ उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखें।
- ❖ किसी भी तरह की घरेलू कामगार महिला के साथ भेदभाव न करें।
- ❖ घरेलू कामगार के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग न करें।
- ❖ घरेलू कामगार को पेमेंट समय पर दें।
- ❖ अनावश्यक किसी चीज का पैसा पेमेंट से न काटें।
- ❖ कोशिश करें कि पेमेंट बैंक खाते में जमा कराएं या चेक से दें।
- ❖ महिला काम करने नहीं आ पाई और इसकी सूचना देने अपने बच्चे को भेजती है तो बच्चे से काम न करवाएं।
- ❖ छुट्टी की सूचना फोन पर बताने पर व्यवहार नम्र रखें। गाली या किसी तरह का गुस्सा न करें।
- ❖ महिला के साथ महिला ही कार्य के विषय में चर्चा करें। इसमें पुरुष किसी तरह का हस्तक्षेप न करें।
- ❖ अंडरगारमेंट्स न धुलवाएं।
- ❖ ट्वॉयलेट न धुलवाएं।
- ❖ कामगार महिला के घर में आते ही उस पर चिल्लाना न शुरू कर दें।
- ❖ उनके व्यक्तिगत मामलों को भी अहमियत दें।
- ❖ कामगार को उम्र व सेहत के हिसाब से काम दें।
- ❖ अपने व्यक्तिगत गुस्से को कामगार पर न निकालें।
- ❖ **18** साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर न लगाएं।
- ❖ कामगार को बासी, जूठा व खराब भोजन न दें।
- ❖ घोषित छुट्टियां सवेतन अवश्य दें।
- ❖ सप्ताह में एक छुट्टी सवेतन अवश्य दें।
- ❖ त्योहारों के वक्त अतिरिक्त काम का अतिरिक्त पैसा दें।
- ❖ घरेलू कामगार का पता, पहचान पत्र व फोटो अवश्य रखें।
- ❖ घरेलू कामगार की सूचना पुलिस को अवश्य दें।
- ❖ आपातकालीन स्थिति के लिए घरेलू कामगार को जरूरी निर्देश व नंबर दे कर रखें।
- ❖ उसकी निंदा दूसरों से न करें।

- ❖ दूसरे कामगार व नियोक्ता से अपनी तुलना न करें।
- ❖ कामगार को शौचालय का उपयोग करने दे अथवा उसके लिऐ सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था अवश्य करें वर्ना उसकी सेहत खराब हो सकती है
- ❖ यदि किसी कारणवश आप कामगार को काम से निकालती है तो उसको एक माह की तनख्वाह अवश्य दें।
- ❖ यदि आप कही बाहर जा रही है उस दौरान काम कराने का पैसा न काटें इसमें कामगार का कोई दोष नही है।
- ❖ ठोस सबूत न हो तो अनावश्यक चोरी का आरोप न लगावें।

काम की हड़ताल व हमारी घोषणा

आज दिनॉक 9 जनवरी को घरेलू कामगार महिला अधिकार युनियन की एक दिन काम की हड़ताल की गई इस हड़ताल में 3000 घरेलू कामगार आज काम पर नही गयी और अपने साथ काम पर आने वाली समस्याओ पर चर्चा की।

- पाये जाने वाले वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्वि
- प्रत्येक रविवार सवेतन साप्ताहिक अवकाश
- अतिरिक्त काम का अतिक्ति दाम लेगे

घरेलू कामगार की जिम्मेवारी क्या होगी

- ❖ रोजना समय पर पहुंचे व यदि किसी कारणवश देरी हो जाए तो सूचना पहले ही दे दें।
- ❖ अवकाश की सूचना पहले से दे दें।
- ❖ कार्य को छोड़ने के एक माह पूर्व सूचना अवश्य दें।
- ❖ नियोक्ता की चीजें पूछ कर इस्तेमाल करेंगी और उनकी सफाई का ध्यान रखेंगी।
- ❖ बिना बताए अवकाश लेने पर तनख्वाह कवाएगी।

मेरी मालकिन करती है मेरी मदद (कहानी)

मेरा नाम राधा गारगे है। मै बाँसखेडी संजय नगर मे रहती हूँ। मैं 20साल से दीपा गारगो के यहां ई–4, 120 अरेरा कलोनी मे झाडू पोछे का काम करती हूँ। सन् 2000 मे मेरी झुग्गी पूरी तरह जल गई थी। उस समय दीपा जी बैगंलोर मे थी। मैनें उन्हे फोन करके बताया कि मेरी झुग्गी जल गई और मेरा पूरा सामान भी जल गया। उन्होने तुरन्त अपने ड्राइवर को मेरी मदद के लिये भेजा और वो दो दिन बाद बैगंलोर से आ गई और तुरन्त मुझ से मिलने मेरी बस्ती मे आई। मेरी झुग्गी की स्थिति देख कर उन्होने मेरी काफी मदद करते हुए मुझे पैसे दिये, एक माह का राशन दिया और कहा कि जब तब तुम्हारी कहीं रहने की व्यवस्था नहीं होती और सब ठीक नहीं होता तुम काम पर नही आना। तो मैं दो माह काम पर नही गई। उन्होने भी उतने दिन तक किसी को नही रखा।

मै आज भी उनके ही घर काम करती हुॅ। उनका व्यवाहर बहुत अच्छा है मुझे वो समझती है और मै उन्हे समझती हुॅ। मै भी अपनी पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी से काम करती हुॅ। मुझे उनके घर काम करना अच्छा लगता है काम छोडने का मन नहीं करता है।

संविधान भी देता है हमको बराबरी का अधिकार

भारत का संविधान ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को मूल अधिकार दिये है जिसके तहत उन्हे समानता का अधिकार प्राप्त है कोई भी व्यक्ति के साथ राज्य धर्म मूलवंश जाति या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नही किया जायेगा मूल अधिकारो के द्वारा ही समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है उन्हे कही भी घूमने फिरने बोलने का स्वतंत्रता दी गई है । किसी भी नौकरी में केवल धर्म जाति लिग उद्वभव निवास अथवा इनमें से किसी के भी आधार पर उसके साथ अंतर नही किया जायगा। केवल राज्य अपने राज्य में जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है लेकिन घरेलू कामगारों कि सन्दर्भ में कई बार नियोक्ता इन संवैधानिक अधिकारों का अनजानें में उल्लघन कर जातें है ।

सुनो मेरी कहानी

मै एक लड़की थी मै भी पढ़ना चाहती थी खेलना कूदना आगे बढ़ना मेरा भी एक सपना था पान्तु मेरी गरीबी और मॉ बाप का लाचारी ने मुझे दूसरो के घर झाडू पोछा बर्तन मॉजना सीखा दिया और मै चल पड़ी कभी न खत्म होने वाले संघर्ष के साथ।

उस दिन मै घर से ख़ुशी खुशी काम पर निकली आज मुझे मॉ नये कपड़े दिलाने वाली थी सो समय पर काम खत्म करके घर भी आना था मै घर भी आ गई लेकिन मेरी खुशियॉ पल भर में उड़ गयी जब घर की मालकिन मेरे घर से यह कीकर साथ ले गई कि कुछ जरूरी काम आ पड़ा है बाद में वो छोड़ जायेगी वहाम् जाने पर पता चला कि उनका मोबाइल गुम हो गया है और उनको मुझ पर शक है अब मै उसके गुस्से का शिकार हो रही थी उन्होने मुझे खूब गॉलिया दी और मारा भी था और उस दिन उन्होने फिर मुझे घर भी जाने नही दिया मेरे घरवालों को फोन पर कहते रहे कुछ काम करवा रहे है घर छोड़ देगें। ऐसे करते करते रात के 11 बज गये अब मॉ से रहा नही गया उन्होने फिर मालकिन को फोन किया तो उन्होने कहा जरूरी काम है तुम भी यहॉ आ जाओं जब मॉ उनके घर पहुॅची तो वहॉ और भी लोग थे और मेरे चोटो के निशान के जिम्मेवार थे उन्होने कहा कि मैने उनका 25000 का मोबाइल चुरा लिया है जो हमको वापिस करना होगा सा इसके पैसे देने होगे मेरी मॉ उनके आगे बहुत रोई गिड़गिड़ाई कि वे मुझे छोड़ दे लेकिन वे नही माने बाद में मॉ के कहने पर कि वो उनका 25000 रूप्या दे देगी उन्होने मुझे छोड़ा मै मॉ के साथ घर तो आ गई पर अब चिन्ता थी कही उन्होने पुलिस में शिकायत कर दी तो क्या होगा ? मेरी मॉ गरीब है इतना पैसा कहॉ से लाएगी फिर मन में ख्याल आया जब मै ही न रहू तो ये सारे झंझट समाप्त हो जायेगा उस वक्त सब सो रहे थे सुबह के पॉच बजे थे और मैने घर में रखी केरोसिन की कुप्पी उठा ली औ पलट ली पल भर में सब बदल गया आज मै इस दुनिया में नही हूॅ लेकिन मेरी कहानी हर कामवाली में जिन्दा है।